



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224639
CG-DL-E-22012021-224639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2021/माघ 1, 1942

No. 283]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2021/MAGHA 1, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2021

का.आ. 314(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2394 (अ) नई दिल्ली दिनांक २० जुलाई २०२०, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के तहसील-कुरई, जिला - सिवनी में NH7 के कि.मी. 624.48 से कि.मी.653.225 (सक्षम प्राधिकारी (भू -अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील -सिवनी, जिला -सिवनी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "२८ अगस्त २०२०" को "दैनिक भास्कर" और "नई दुनिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के तहसील- कुरई, जिला - सिवनी में NH7 के कि.मी. 624.48 से कि.मी.653.225 (सक्षम प्राधिकारी (भू -अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील -सिवनी, जिला -सिवनी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: सिवनी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कुरई				
	गांव का नाम: खवासा				
1	121	सरकारी	असिंचित	0.16	शासकीय आबादी ()
2	122/1	सरकारी	असिंचित	0.15	शासकीय आबादी ()
3	190	सरकारी	असिंचित	0.03	शासकीय रास्ता ()
	गांव का नाम: पिण्डकापार				
4	107	सरकारी	असिंचित	0.01	शासकीय रास्ता ()
5	119	सरकारी	असिंचित	0.01	शासकीय रास्ता ()
6	143	सरकारी	असिंचित	0.1	शासकीय आबादी ()
7	151/1	सरकारी	असिंचित	0.03	शासकीय आबादी ()

8	151/2	सरकारी	असिंचित	0.01	शासकीय आबादी ()
9	151/3	सरकारी	असिंचित	0.03	शासकीय आबादी ()
10	152	सरकारी	असिंचित	0.01	शासकीय आबादी ()
11	153	सरकारी	असिंचित	0.02	शासकीय रास्ता ()
12	159	सरकारी	असिंचित	0.06	शासकीय आबादी ()
13	162	सरकारी	असिंचित	0.06	शासकीय आबादी ()
14	164	सरकारी	असिंचित	0.07	शासकीय रास्ता ()
15	165	सरकारी	असिंचित	0.01	शासकीय आबादी ()
16	166	सरकारी	असिंचित	0.03	शासकीय आबादी ()
17	167	सरकारी	असिंचित	0.09	शासकीय आबादी ()
18	179	सरकारी	असिंचित	0.01	शासकीय रास्ता ()
19	190	सरकारी	असिंचित	0.05	शासकीय बड़े झाड़ का जंगल ()
20	191	सरकारी	असिंचित	0.06	शासकीय आबादी ()
21	192	सरकारी	असिंचित	0.04	शासकीय जंगल ()
22	194/1	सरकारी	असिंचित	0.04	शासकीय चारागाह ()
23	195/1	सरकारी	असिंचित	0.28	शासकीय चारागाह ()
24	196/2	सरकारी	असिंचित	0.01	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग सिवनी ()

25	199/1	सरकारी	असिंचित	0.07	शासकीय चारागाह ()
26	50	सरकारी	असिंचित	0.02	शासकीय चारागाह ()
27	51	सरकारी	असिंचित	0.04	शासकीय जंगल ()
28	53	सरकारी	असिंचित	0.18	शासकीय चारागाह ()
			कुल	1.68	

[फा. सं. NHAI/1001/Tech/NS-I/LA/Seoni/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st January, 2021

S.O. 314(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.2394(E) New Delhi dated 20th July 2020 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the stretch of land from Km 624.48 to Km 653.225 of NH-7 (Competent Authority (Land Acquisition) & Sub Divisional Officer (Revenue), Tehsil-Seoni, Dist.-Seoni) in the Tehsil- Kurai, district SEONI, state MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhasker” and “*Naidunia*” both dated 28 August, 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH7 in the stretch of land from NH7 (Competent Authority (Land Acquisition) & Sub Divisional Officer (Revenue), Tehsil-Seoni, Dist.-Seoni) in the Tehsil- Kurai, district SEONI, state MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH		District: SEONI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kurai				
	Village: Khawasa				
1	121	Government	Non-Irrigated	0.16	Government Abadi
2	122/1	Government	Non-Irrigated	0.15	Government Abadi
3	190	Government	Non-Irrigated	0.03	Government Road
	Village: Pindkapar				
4	107	Government	Non-Irrigated	0.01	Government Road
5	119	Government	Non-Irrigated	0.01	Government Road
6	143	Government	Non-Irrigated	0.1	Government Abadi
7	151/1	Government	Non-Irrigated	0.03	Government Abadi
8	151/2	Government	Non-Irrigated	0.01	Government Abadi
9	151/3	Government	Non-Irrigated	0.03	Government Abadi
10	152	Government	Non-Irrigated	0.01	Government Abadi
11	153	Government	Non-Irrigated	0.02	Government Road
12	159	Government	Non-Irrigated	0.06	Government Abadi
13	162	Government	Non-Irrigated	0.06	Government Abadi
14	164	Government	Non-Irrigated	0.07	Government Road
15	165	Government	Non-Irrigated	0.01	Government Abadi
16	166	Government	Non-Irrigated	0.03	Government Abadi
17	167	Government	Non-Irrigated	0.09	Government Abadi
18	179	Government	Non-Irrigated	0.01	Government Road
19	190	Government	Non-Irrigated	0.05	Government Forest (Big Tree)
20	191	Government	Non-Irrigated	0.06	Government Abadi
21	192	Government	Non-Irrigated	0.04	Government Forest
22	194/1	Government	Non-Irrigated	0.04	Government Grass
23	195/1	Government	Non-Irrigated	0.28	Government Grass
24	196/2	Government	Non-Irrigated	0.01	Jila Sanyojak Adim Jati Kalyan Vibhag Seoni
25	199/1	Government	Non-Irrigated	0.07	Government Grass
26	50	Government	Non-Irrigated	0.02	Government Grass
27	51	Government	Non-Irrigated	0.04	Government Forest
28	53	Government	Non-Irrigated	0.18	Government Grass
			TOTAL	1.68	

[F. No. NHAI/1001/Tech/NS-I/LA/Seoni/3D]

RAJESH GUPTA, Director